मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल—462011
टेलीफोन नं. 0755—2551910, 2551330
Web:-www.mpmadhyam.in

गणतंत्र दिवस परेड 2023 के अवसर पर नई दिल्ली में चयनित होने पर प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश राज्य की झांकी निर्माण के लिये निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य	—	रूपये 2,000/— (वापसी योग्य नहीं)
2. अमानत राशि	—	रूपये 1,00,000/— (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	—	दिनांक 09.11.2022 समय अपरान्ह 2.00 बजे
4. निविदा खोलने की अंतिम तिथि	—	दिनांक 09.11.2022 समय सायं 3.00 बजे

(कुल पृष्ठ संख्या 9)

मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल–462011
टेलीफोन नं0 0755– 2551910, 2551330

गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मध्यप्रदेश राज्य की झांकी निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश माध्यम की ओर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में प्रदर्शित होने वाली झांकी की डिजाईन/मॉडल प्रस्तुत करने तथा अनुमोदन पश्चात रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार फेब्रिकेशन आदि कार्य की झांकी तैयार करने हेतु अनुभवी टेब्ल्यू निर्माताओं/फर्मों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक (झांकी) टेब्ल्यू निर्माता/फर्म मध्यप्रदेश माध्यम की वेबसाईट www.mpmadhyam.in से निविदा प्रारूप, नियम, शर्ते डाऊनलोड कर निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) नगद देकर (वापसी योग्य नही) या ''मध्यप्रदेश माध्यम'' के नाम से भोपाल में देय बैंक डिमॉड ड्राफ्ट टेक्निकल बिड लिफाफा के साथ जमा करना अनिवार्य है। उक्त निविदा में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी म.प्र. माध्यम की उक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी।

(1) पूर्णतः भरे प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 09/11/2022 दोपहर 2 बजे तक।
(2) प्रपत्र खोलने की तिथि दिनांक 09/11/2022 सायं 3 बजे।

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल–462011

मध्यप्रदेश राज्य की झांकी निर्माण के नियम एवं शर्तें

गणतंत्र दिवस परेड 2023 (26 जनवरी 2023) के अवसर पर नई दिल्ली में चयनित होने पर प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश राज्य की झांकी के निर्माण के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

1. निविदाकार को झांकी निर्माण की दर टर्न–की आधार पर मटेरियल सहित दर्शानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त झांकी हेतु चयनित हुए कलाकारों पर होने वाले व्यय को वहन किया जायेगा। इसलिए निविदा दर में कलाकारों पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाये।
2. गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह, नई दिल्ली 2023 के लिये राज्य की झांकी निर्माण के लिये फर्म के पास नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन कार्य का 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। साक्ष्य हेतु निविदा के साथ उक्त संबंध में कार्यादेश एवं फोटोग्राफ्स की प्रतियां संलग्न करना होगा। निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई थीमों के अनुसार डिजाईन बनाकर निविदा के साथ जमा करनी होगी।
3. निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तों को म.प्र. माध्यम, भोपाल के वेबसाईट www.mpmadhyam.in से डाउनडोल किया जा सकता है।
4. निविदा के साथ ''मध्यप्रदेश माध्यम'', भोपाल के नाम से किसी प्रतिष्ठित बैंक द्वारा जारी बैंकर्स चेक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 1,00,000/– (एक लाख रूपये) सुरक्षा निधि का एवं रूपये 2,000/– (वापसी योग्य नहीं) निविदा प्रपत्र शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र नगद राशि या म.प्र. माध्यम, भोपाल के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा म.प्र. माध्यम कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं।
5. निविदाएं (तकनीकी बिड लिफाफा एवं वित्तीय बिड लिफाफा) अलग–अलग सील्ड लिफाफे में होना चाहिए। तकनीकी बिड लिफाफे पर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिफाफे पर वित्तीय बिड स्पष्ट अक्षरों में अंकित करें।

   (क) तकनीकी बिड लिफाफा :– इस लिफाफे में सभी शर्तें, अर्नेस्टमनी (सुरक्षा निधि), निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अन्य वांछित अभिलेख होने चाहिए। डिजाईन का साइज बड़ होने पर उसका लिफाफा/रोल लिफाफा अलग से भी दिया जा सकता है। अभिलेखों का चेक लिस्ट प्रारूप संलग्न है।

   (ख) वित्तीय बिड लिफाफा :– इसमें केवल वित्तीय भाव पत्र (दरें) निविदाकार का नाम, हस्ताक्षर एवं संस्था मोहर के साथ होने चाहिए।

6. चयन समिति द्वारा जिस निविदाकार की डिजाईन एवं तकनीकी बिड स्वीकृत की जायेगी, उसी की (वित्तीय बिड) भाव पत्र (दरें) खोली जायेगी। अन्य निविदाकार जिनकी डिजाईन स्वीकृत नहीं होगी उनकी (वित्तीय बिड) भाव पत्र (दरें) नहीं खोली जायेगी।
7. झांकी निर्माण (टेब्ल्यू) के लिये दिये गये निर्देशों तथा एक्शन प्लान के अनुसार संतोषजनक निर्माण न होने, विलम्ब होने पर अथवा निम्न स्तर का निर्माण होने अथवा निम्न कोटि की सामग्री के उपयोग करने पर सुरक्षा निधि राशि (निविदा के साथ संलग्न अमानत राशि) राजसात कर ली जायेगी और समानुपातिक राशि की कटौती की जा सकती है। झांकी निर्माण कार्य आदेश मिलने के पश्चात 24 घंटे के अंदर निर्धारित स्थल पर कार्य प्रारंभ करना होगा।
8. झांकी (टेब्ल्यू) के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री (रक्षा मंत्रालय के ट्रेक्टर और ट्रेलर को छोड़कर) म.प्र. माध्यम की होगी। निविदाकार यदि निर्माण सामग्री कार्य पश्चात् वापस लेना चाहे तो निविदा में इस राशि का उल्लेख करना होगा।
9. झांकी (टेब्ल्यू) देना या ना देना म.प्र. माध्यम की इच्छा पर निर्भर है, झांकी समाप्ति के पश्चात् डिस्मेंटलिंग का कार्य निर्माण/ठेकेदार को ही करना अनिवार्य है। यह कार्य एक निर्धारित समय पर रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार करने होंगे। यदि झांकी या इसका कुछ भाग परेड के बाद अन्यत्र स्थापित करना निर्णित होता है तो उक्त कार्य भी निविदाकार को करना होगा। दूरी 25 से 30 किलोमीटर हो सकती है। इसके लिये अलग से राशि देय नहीं होगी।
10. रक्षा मंत्रालय की निर्णायक कमेटी द्वारा समय–समय पर बताये गये बदलाव या परिवर्तन चयनित निविदाकार द्वारा झांकी में तुरंत करना होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव, परिवर्तन आदि का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण का कार्य रक्षा मंत्रालय की निर्णायक समिति द्वारा स्वीकृत मॉडल की डिजाइन और स्पेसीफिकेशन के अनुसार निर्धारित तिथि समय में करना अनिवार्य है।
12. रक्षा मंत्रालय की निर्णायक समिति द्वारा झांकी (टेब्ल्यू) चयन किये जाने के बाद झांकी की थीम गीत की रिकार्डिंग की जिम्मेदारी चयनित निविदाकार की होगी, इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. निविदाकार को संपूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में करने के लिये एक्शन प्लान निविदा के साथ देना होगा, न देने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत भी की जा सकती है। विभागीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
14. संस्था का पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रतियां तथा संस्था का वित्तीय वर्ष, 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021 के आयकर रिटर्न एवं कम्प्युटेशन की प्रतियां तकनीकी बिड में संलग्न करना होगा। वित्तीय वर्ष 2020–2021 एवं 2021–2022 में झांकी निर्माण कार्य का औसतन वार्षिक टर्न ओवर रूपये 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) से कम नहीं होना चाहिए। इस आशय का चार्टड एकाउंटेन्ट से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सी.ए. से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र में झांकी निर्माण कार्य का टर्न ओवर उल्लेख होना अनिवार्य है।

15. झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण की स्वीकृत निविदा राशि का तीन किश्तों में टी.डी.एस., जी.एस.टी. (सर्विस टैक्स) काटकर भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त 50 प्रतिशत स्ट्रेक्चर पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर और तीसरी एवं अंतिम किश्त शेष 25 प्रतिशत का भुगतान डिस्मेटलिंग के पश्चात झांकी निर्माण सामग्री की वापसी हेतु निर्धारित राशि का समायोजन/कटौती कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
16. झांकी में कार्य करने वाले मजदूर, कारीगर तथा उसके फेब्रिकेटर का पुलिस सत्यापन निविदाकार द्वारा कराया जाएगा। जन–धन की क्षति के संबंध में निविदाकार फर्म इन्शोरेंस करा सकती है। किसी भी प्रकार की क्षति के लिये मध्यप्रदेश माध्यम जिम्मेदार नहीं होगा। यदि पुलिस सत्यापन में किसी सदस्य को अयोग्य पाया जाता है तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। इसके स्थान पर अच्छे चाल–चलन वाले दूसरे सदस्य को रखने की कार्यवाही निविदाकार को करनी होगी। झांकी (टेब्ल्यू) के ऊपर/परेड पथ पर कोई भी स्थानीय व्यक्ति/कलाकार शामिल करने का अधिकार मध्यप्रदेश माध्यम के पास सुरक्षित होगा। आवश्यकता पड़ने पर टीम लीडर चयन करने हेतु अधिकृत होंगे।
17. दिनांक 20 जनवरी 2023 तक झांकी (टेब्ल्यू) का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा समानुपातिक राशि की कटौती कर भुगतान किया जायेगा। झांकी को सुरक्षित राजपथ (कर्तव्य पथ) पर प्रदर्शन की सम्पूर्ण कार्रवाई/जवाबदारी निविदाकार की होगी।
18. चूंकि राष्ट्रीय स्तर का अति महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्य है, इसे समय–सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करना होता है। इसलिए निविदा स्वीकार करते समय फर्म की क्षमता, योग्यता, गुणवत्ता, आर्थिक सुदृढ़ता एवं उनके द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों के अनुभव का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए निविदा की न्यूनतम दर होने से यह आवश्यक नहीं होगा कि उसे ही स्वीकृत किया जाये।
19. चूंकि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्य है इसलिए केवल वही निविदाकर्ता आवेदन करें, जो इसकी समस्त शर्तें पूर्ण करते हैं। निविदाकार बायोडाटा में अपने वास्तविक कार्य अनुभव का उल्लेख करते हुए प्रमाणिक अभिलेख संलग्न करें।
20. बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम या उनके नामांकित प्रतिनिधि को होगा।
21. अंतिम भुगतान टी.डी.एस. और जी.एस.टी. की राशि जो उस समय प्रभावशील होगी, की कटौती के उपरांत किया जायेगा।
22. निविदाकार निविदा शर्तों के प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण वर्ष 2023 की सभी शर्तें स्वीकार है, संबंधी हस्ताक्षर करें।
23. गणतंत्र दिवस परेड 2023 नई दिल्ली में राज्य की झांकी (टेब्ल्यू) की रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने की जबावदेही निविदाकार की होगी।
24. उपरोक्त नियम एवं शर्तों में किसी भी समय आवश्यकतानुसार शिथिलता एवं परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. माध्यम को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के पत्र का जवाब दिया जायेगा।

25. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार फर्म को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य है। फर्म को रूपये 50/— के स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में स्व हस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27. किसी भी वाद—विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल ही होगा।

28. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता)** :— किसी भी प्रकार के वाद विवाद उत्पन्न होने पर पंचाट अधिनियम के तहत एकमेव माध्यम जो सचिव/प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन होंगे के द्वारा किया जायेगा।

प्रबंध संचालक

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

पूर्ण पता ....

....

....

टेलीफोन नं. ....

मोबाइल नं. ....

फर्म की सील ....

<u>चेकलिस्ट</u>

<u>टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची</u>

1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 2,000/– का प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भोपाल में देय डी.डी. क्रमांक .... दिनांक .... रूपये 2,000/–

2. अमानत राशि रूपये 1,00,000/– का प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भोपाल में देय डी.डी. क्र. .... दिनांक .... रूपये 1,00,000/–

3. गणतंत्र दिवस, नई दिल्ली में झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण का 3 वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रतियां एवं फोटोग्राफ्स निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना है।

क्र.	नियोक्ता (जिस राज्य अथवा मंत्रालय हेतु झांकी का निर्माण किया गया है) का नाम	कार्य अनुभव संबंधी कार्यादेश/अनुभव प्रमाण–पत्र/संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण–पत्र

4. झांकी (टेब्ल्यू) हेतु प्रस्तावित थीम अनुसार तैयार किया गया पृथक–पृथक डिजाइन।

5. झांकी (टेब्ल्यू) से संबंधित सम्पूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में करने के लिये एक्शन प्लान।

6. वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में झांकी निर्माण कार्य का औसतन वार्षिक टर्न ओवर रूपये 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) से कम नहीं होना चाहिए। इस आशय का चार्टड एकाउंटेन्ट से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सी.ए. से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र में झांकी निर्माण कार्य के टर्न ओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है।

7. संस्था का पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति।

8. संस्था का वित्तीय वर्ष 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021 के आयकर रिटर्न एवं कम्प्युटेशन की प्रतियां।

9. निर्धारित प्रारूप में 50/– के स्टॉम्प पेपर में स्वप्रमाणित घोषणा–पत्र की मूल प्रति।

–––0–––

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में घोषणा–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

घोषणा–पत्र

मैं ———————————— संस्था प्रमुख निवासी ———————————— म.प्र. माध्यम द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. माध्यम, भोपाल को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे मध्यप्रदेश के निविदा के सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान : ————————

दिनांक : ————————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

फर्म/संस्था का नाम व मोहर
दरूभाष/मोबाइल नंबर

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

(फर्म के लेटर पेड में जमा करना है)

1. गणतंत्र दिवस परेड 2023 (26 जनवरी 2023) के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश की झांकी के निर्माण की दर (टर्न–की आधार पर मॉडल, डिजाइन, फ्रेब्रिकेशन एवं संपूर्ण मटेरियल, राजपथ पर प्रदर्शित करने एवं कार्य समाप्ति पश्चात निर्देशानुसार डिसमेल्टिंग सहित एकमुश्त दर) शामिल करें।
2. झांकी प्रदर्शन के बाद डिसमेल्टिंग पश्चात सामग्री वापसी की स्थिति में म.प्र. माध्यम को भुगतान/झांकी निर्माण के अंतिम देयक में समायोजन हेतु दर शामिल करें।

क्रमांक	थीम का विषय	थीम डिजाईन/मॉडल/मटेरियल/ निर्माण प्रदर्शन सहित दर (जीएसटी अतिरिक्त) समस्त शुल्क सहित
1.	(1) मध्यप्रदेश में महाकाल लोक एवं धार्मिक पर्यटन	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(2) खजुराहो मंदिर	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(3) चीता पुनर्स्थापन एवं वन्यप्राणी संरक्षण	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(4) मध्यप्रदेश में महिला स्व सहायता समूह आंदोलन	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	झांकी प्रदर्शन के बाद डिसमेल्टिंग पश्चात सामग्री वापसी की स्थति में	
2.	(1) मध्यप्रदेश में महाकाल लोक एवं धार्मिक पर्यटन	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(2) खजुराहो मंदिर	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(3) चीता पुनर्स्थापन एवं वन्यप्राणी संरक्षण	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(4) मध्यप्रदेश में महिला स्व सहायता समूह आंदोलन	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....

1. उपरोक्त दरों के अतिरिक्त जी.एस.टी. राशि का विवरण अलग से उल्लेख करें।
2. उपरोक्त दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दिया जायेगा।

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

फर्म/संस्था का नाम व मोहर

दरूभाष/मोबाइल नंबर